संख्या–243/2016/14(120)/XXVII(8)/06

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8

देहरादूनः दिनांकः21 जून, 2016

विषयः– अविभाजित सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकरों के संबंध में एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–6171/आयु0क0उत्तरा0/प0सं0–56(08–09)/विधि0–अनु0/2015–16/दे0दून, दिनांक 31.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकरों के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01.04.2016 से उस समय तक, जब तक राज्य सरकार योजना को समाप्त न कर दे या जी0एस0टी0 लागू होने तक जो भी पहले घटित हो, तक के लिये समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– समाधान योजना से संबंधित शासन के निर्देश, प्रार्थना पत्र एवं शपथ–पत्र के प्रारूप आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया इन योजनाओं का अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

विधि अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

Normal draft /Draft